


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-५/स्थानांतरण/भूगोल/2019-20/ १-५७५ दिनांक-29.09.2019 के तहत सुभाषचन्द्र वर्मा व्याख्याता, भूगोल राजमार्ग चौमू जयपुर को राजमार्ग गोठडा अलवर एवं श्री महेन्द्र कुमार जाट व्याख्याता भूगोल राजमार्ग ओघना, उदयपुर को राजमार्ग चौमू जयपुर में स्थानांतरित किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध सुभाष चन्द्र वर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 20215/19 सुभाष चन्द्र वर्मा, बनाम निदेशक माध्यमिक राजस्थान बीकानेर व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 20215/19 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.12.19 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.19 का प्रभाव एवं कियान्वयन याचिकार्थी सुभाष चन्द्र वर्मा के संबंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।


अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.19 को याचिकार्थी सुभाष चन्द्र वर्मा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुभाष चन्द्र वर्मा माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम निर्णय के अधीन राजमार्ग चौमू जयपुर में व्याख्याता भूगोल के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानांतरित महेन्द्र कुमार जाट व्याख्याता भूगोल को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर में आगामी आदेश तक दी जानी सुनिश्चित करें।

  
(हिमांशु गुप्ता) ११  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-५/स्थगन/2019-20

दिनांक:-२०/१२/२०१९

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
  02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
  03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
  04. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ
  05. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करायें।
  06. जि.शि.आ. (माध्य-विधि) जयपुर।
  07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
  08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
  09. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर